संख्या-653/2025/3565/22-2-2022-17(1391)/2022

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 27 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील कुमार अवस्थी पुत्र श्री ओमदत्त, निवासी जनपद-फतेहपुर की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-34619/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.09.2022) दिनांक-02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील कुमार अवस्थी पुत्र श्री ओमदत्त, ग्राम-लोहारी, पोस्ट-हुसैनगंज, थाना-हुसैनगंज, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। दहेज की मॉग पूरी न होने के कारण दिनांक 10.12.2007 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी आशा देवी की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-146/2008 भा0द0वि0 की धारा-304बी,498ए,201 व 4 डी0पी0 एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-04 फतेहपुर के आदेश दिनांक 18-04-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 06-03-2022 तक 14 वर्ष 02 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 03 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य कसीदगी बनी होने के कारण रिहा होने के उपरान्त अपराध कर सकने व पुलिस रिपोर्ट में बंदी के आपराधिक मनोवृत्ति का होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की मॉग पूरी न होने के कारण दिनांक 10.12.2007 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी आशा देवी की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बंदी के आपराधिक मनोवृत्ति का होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुशील कुमार अवस्थी पुत्र श्री ओमदत्त को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील कुमार अवस्थी (बन्दी संख्या-83/12) पुत्र श्री ओमदत्त, निवासी जनपद-फतेहपुर को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-653/2025/3565(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-653/2025/3565/22-2-2022-(1391)/2022

दिनांक 27 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील कुमार अवस्थी पुत्र श्री ओमदत्त, ग्राम-लोहारी,पोस्ट-हुसैनगंज, थाना-हुसैनगंज, जनपद-फतेहपुर का निवासी है। दहेज की मॉग पूरी न होने के कारण दिनांक 10.12.2007 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी आशा देवी की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-146/2008 भा0द0वि0 की धारा-304बी,498ए,201 व 4 डी0पी0 एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश,फास्ट ट्रैक कोर्ट नं0-04 फतेहपुर के आदेश दिनांक 18-04-2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक 06-03-2022 तक 14 वर्ष 02 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 03 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य कसीदगी बनी होने के कारण रिहा होने के उपरान्त अपराध कर सकने व पुलिस रिपोर्ट में बंदी के आपराधिक मनोवृत्ति का होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दहेज की मॉग पूरी न होने के कारण दिनांक 10.12.2007 को बन्दी ने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी आशा देवी की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, बंदी के आपराधिक मनोवृत्ति का होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुशील कुमार अवस्थी पुत्र श्री ओमदत्त को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in